भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान
राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन कोष-कृषि व्यवसाय उद्भावन केंद्र
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल – 462038 (म.प्र.)

कृषि व्यवसाय उद्भावन केंद्र

भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान
रा.कृ.नव.को. - कृषि कृषि व्यवसाय उद्भावन केंद्र
वेबसाइट: https://ciae.icar.gov.in/abic.html
ई-मेल: icarciaeabi@gmail.com
संपर्क नंबर: 0755-2521247

भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन कोष-कृषि व्यवसाय उद्भावन केंद्र नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल – 462038 (म.प्र.)

रा.कृ.नव.को. -कृषि व्यवसाय उद्भावन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सूचना-सह-दिशानिर्देश

1.0 उद्देश्य:

भारत सरकार द्वारा की गई पहल उद्भावन संबंधित गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य देश में उद्यमिता अभियान को प्रोत्साहित करना है, ताकि एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके, जो स्टार्टअप व्यवसाय के विकास के लिए अनुकूल हो, समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करे। भा.कृ.अनु.प.- के.कृ.अभि.सं. कृषि-व्यवसाय उद्भावन केंद्र का प्राथमिक लक्ष्य मशीनीकृत पूर्व और उत्पादन के बाद कृषि संचालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिससे एक स्टार्टअप इको सिस्टम विकसित हो सके, जो सटीक खेती में सहायता करे, थकान को कम करे, और उपज में मूल्यवर्धन करे। यह प्रक्रिया उन इनक्यूबेटी के विचारों को पोषित करने के माध्यम से की जा रही है, जो अपने विचारों को प्रोटोटाइप में परिवर्तित करने में रुचि रखते हैं। भा.कृ.अनु.प.- के.कृ.अभि.सं. द्वारा विकसित कुछ तकनीकों को इच्छुक और संभावित उद्यमियों को व्यवसाय ऊष्मायन सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सहायता नवीन प्रौद्योगिकी, उपकरण, पायलट पैमाने के संयंत्र, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, संस्थान की बैठक और सम्मेलन कक्ष आदि सहित संस्थान की इनक्यूबेशन सुविधाओं को किराये के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इनक्यूबेटी को के.कृ.अभि.सं. – कृ.व्य.उ.कें. में सीखी गई तकनीकों के आधार पर अपने उद्यम को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। के.कृ.अभि.सं. – कृ.व्य.उ.कें.में विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी-वार विवरण और सुविधाएं वर्तमान में एकत्र किए जाने वाले शुल्कों के साथ इस दस्तावेज़ में संकलित की गई हैं।

2.0 पात्रता:

कोई भी व्यक्ति जो कृषि-व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए उत्सुक और जुनूनी है, आवेदन कर सकता है। आवेदक व्यक्ति/एसएचजी/एफपीओ/सोसायटी आदि हो सकते हैं। आवेदकों में एक उद्यमी की अपेक्षित बुनियादी विशेषताएं, नेतृत्व, जुनून, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता होनी चाहिए, साथ ही एक नवीन तकनीक आधारित व्यवसायिक विचार को शुरू से लेकर बड़े पैमाने पर सफल व्यवसाय इकाई तक ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, हालांकि उम्मीदवार के पास हिंदी/अंग्रेजी में संवाद करने के लिए पर्याप्त कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि ऐसे उद्यम की स्थापना/संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है। सूचीबद्ध प्रौद्योगिकियों में से कुछ के लिए, उद्यमियों को कृ.व्य.उ.कें इकाई सुविधा का उपयोग करने से पहले संबंधित भा.कृ.अनु.प.- के.कृ.अभि.सं. प्रौद्योगिकी का लाइसेंस लेना पड़ सकता है।

3.0 कृ.व्य.उ.कें. इकाइयों का लाभ उठाने के लिए आवेदन/पंजीकरण की प्रक्रिया/दिशानिर्देश:

- आवेदकों को भा.कृ.अनु.प.- के.कृ.अभि.सं. वेबसाइट <https://ciae.icar.gov.in> पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, जो ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए प्रोफार्मा को भरकर करना होगा, जो पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदक के फॉर्म की जांच की जाएगी। जब भी संबंधित एबीआई सुविधाओं में रिक्तियां होंगी, तो उनके आवेदन पर चयन के लिए विचार किया जाएगा।
- जो आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर, उसे भरकर icarciaeabi@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपना पंजीकरण/आवेदन पत्र भेज सकते हैं। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन केवल हिंदी/अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- वर्तमान में उपलब्ध कृ.व्य.उ.कें. इकाइयों की जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से प्रदान की जाती है।

समय-समय पर नई कृ.व्य.उ.कें. इकाइयाँ जोड़ी जा सकती हैं। इसलिए, इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से के.कृ.अभि.सं. – कृ.व्य.उ.कें.की वेबसाइट देखें।

4.0 इनक्यूबेशन सुविधा के लिए उम्मीदवारों का चयन:

आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों का अंतिम चयन के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जा सकता है।

5.0 एबीआई इकाई सुविधा का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर:

- यदि के.कृ.अभि.सं. – कृ.व्य.उ.कें. सुविधा का उपयोग करने के लिए चुना जाता है, तो आवेदक को कृ.व्य.उ.कें. सुविधा को पट्टे पर लेने के लिए भा.कृ.अनु.प.- के.कृ.अभि.सं., भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन [एमओए] पर हस्ताक्षर करना होगा। समझौते में पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा और सुविधा के पट्टे की अवधि और अन्य नियम व शर्तें शामिल होंगी। प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और समझौता ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करने पर विस्तारित सुविधा समाप्त कर दी जाएगी।
- कृ.व्य.उ.कें. सुविधा के सफल उपयोग के बाद, आवेदकों/उद्यमियों से अपेक्षा की जाती है कि वे के.कृ.अभि.सं. – कृ.व्य.उ.कें.में विकसित तकनीक के आधार पर अपना उद्यम स्थापित करें। संस्थान उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा।
- सभी मामलों में निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- के.कृ.अभि.सं., भोपाल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

प्रधान अन्वेषक

रा.कृ.नव.को. - कृषि व्यवसाय उद्भावन केंद्र

भा.कृ.अनु.सं – केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान

वेबसाइट: ciae.icar.gov.in

ई-मेल: icarciaeabi@gmail.com

संपर्क नंबर: 0755-2521247